भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 670

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

कोयला खदान में लगी आग

670. श्री खीरू महतो:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टिस्को वेस्ट बोकारो कोलियरी में कोयला खदान में लगी आग से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने और अब तक हजारों प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस घटना के लिए जिम्मेदार टिस्को की लापरवाही और उसके द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनदेखी किए जाने के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा लागू की जा रही नीतियों और उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): वेस्ट बोकारो कोलियरीज झारखंड में टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) (पूर्व में टिस्को) की एक प्रचालनरत ओपनकास्ट खान है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने निम्नलिखित सूचना दी है:

(i) खान अधिनियम 1952 के तहत तैयार कोयला खान विनियमन 2017 में कोयला खानों में अग्नि सुरक्षा के प्रावधान हैं, जिनमें आग के लिए सामान्य सावधानियां, आग के लिए सतही सावधानियां, सहज हीटिंग के लिए सावधानियां, आग लगने के बाद सावधानियां, अग्निशमन के लिए उपकरण और अग्निशमन संगठन शामिल हैं।

(ii) अधिनियम के प्रावधानों को डीजीएमएस के माध्यम से लागू किया जाता है जो दुर्घटनाओं की जांच करता है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करता है जिसमें न्यायालय में मुकदमा चलाना भी शामिल है। डीजीएमएस ने टिस्को वेस्ट बोकारो कोलियरी में हुई घटना की जांच शुरू कर दी है।

****